दूरभाषः— 286709
286710
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0
नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

पत्रांकः 3254/76 / 10 / छः / तक0 / विविध / 2012—13 दिनांकः—22/11/2017

समस्त सहा0 परि0 अधि0 / परि0 अधिकारी
जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा),
उ0प्र0।

विषयः—**मुख्य मंत्री अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजना के क्रियान्वयन के संबंध में।**

राज्य सरकार द्वारा पूर्व से संचालित योजना शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलॉकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर उसके स्थान पर शासनादेश संख्या—117 / 2017 / 1279 / 69—1—17—14(31) / 2012 टी0सी0 दिनांक 26.10.2017 द्वारा "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना" आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत शहरी क्षेत्र की अल्पविकसित एवं मलिन बस्तियों (प्राइवेट सोसाइटी / डेवलपर्स द्वारा बसायी गयी बस्ती को छोड़कर) सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलॉकिंग अथवा नाली निर्माण पेय जल, मार्ग प्रकाश व अन्य सुविधाओं की स्थापना का कार्य किया जायेगा। "मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित एवं मलिन बस्ती विकास योजना" के क्रियान्वयन के संबंध में निम्न प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी :—

1. प्रस्ताव जनपद की शासी निकाय से अनुमोदन उपरान्त ही सूडा को प्रेषित किया जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रश्तगत कार्य डूडा के शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत है। ग्रामीण क्षेत्र के कार्य के लिये डूडा द्वारा अनुमन्य नहीं है।
2. शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अन्तर्गत चयनित मुख्यमंत्री अल्पविकसित तथा मलिन बस्ती में जो नगर निकाय / नगर पालिका परिषद आबादी क्षेत्र के अन्दर के मार्ग व गलियां जो सम्पर्क मार्ग की श्रेणी में नहीं आते हैं और जिन पर हैवी / कार्मशियल व्हीकल नहीं चलते हैं, उनकी पूरी चौड़ाई को आच्छादित करते हुए नाली, इण्टरलॉकिंग एवं सी0सी0 रोड का आगणन प्रस्तुत किया जाये।
3. सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य ऐसे मार्गों पर कराया जाये जहां प्रायः जल भराव की समस्या हो।
4. कार्यदायी विभाग द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन पर सक्षम अधिकारी से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जायेगी, जिसमें विभिन्न मदों की दर संबंधित जनपद में लो0नि0वि0 के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा निर्धारित शेड्यूल आफ रेट्स (यदि उपलब्ध हों) के आधार पर ली जाय तथा मदों की मात्रा की गणना ड्राइंग के अनुसार स्थल पर उपलब्ध चौड़ाई एवं लम्बाई के अनुसार आगणित की जायेगी। इस सम्बन्ध में वित्त (व्यय—नियन्त्रण) अनुभाग—8 के शासनादेश संख्या—ई—8—157 / दस—2013—1074 / 2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 व शासनादेश संख्या—ई—8—158 / दस—2013—1074 / 2012, दिनांक 12 फरवरी, 2013 तथा वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2 के शासनादेश संख्या—बी—2—2528 / दस—2014—10 / 77, दिनांक 26 अगस्त, 2014 में निर्गत दिशा—निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन किया जायेगा।
5. "मुख्यमंत्री नगरीय मलिन बस्ती में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का आधार संबंधित अधिकारी के माध्यम से प्रेषित समुचित प्रमाण पत्र प्रेषित करते हुए योजना की गाइडलाइन के आधार पर प्रस्तुत किया जाये, जिसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या की बाहुल्यता वाली बस्ती चयनित होगी। इन बस्तियों में अनुसूचित जाति की आबादी 25 प्रतिशत से अधिक होना अपरिहार्य हैं। तथा प्रश्नगत बस्ती अनुदान संख्या—83 में है, स्पष्ट उल्लेख किया जाये।
6. **वित्त पोषणः—** अल्पविकसित व मलिन बस्तियों में कराये जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण, अनुदान संख्या—37 से तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति बस्तियों में कराये जाने वाले कार्यों का वित्त पोषण अनुदान सं0—83 से किया जायेगा। अनुदान सं0—83 से धनराशि का व्यय / उपयोग किये जाने हेतु एस0सी0एस0पी0 के लिए भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दिशा—निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
7. आगणन में ली गयी सड़क / नाली का विस्तृत "Key Plan" मांप सहित नार्थ व लेबल दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाये तथा जल निकासी का अंतिम डिस्पोजल प्वाइंट भी दर्शाया जाये।

दूरभाषः— 286709
286710
राज्य नगरीय विकास अभिकरण उ0प्र0
नव चेतना केन्द्र, 10, अशोक मार्ग, लखनऊ—226001

8. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, द्वारा जिला स्तर पर नामित अधिशासी अभियन्ता से आगणन का परीक्षण कराते हुए प्रस्ताव प्रेषित किया जाए।
9. परियोजना के कार्यों के प्रस्ताव में स्थल पर उपलब्ध सामग्रियों का मूल्य प्रस्तावित आगणन में घटाने का प्राविधान करते हुए डी0पी0आर0 गठित किया जाये।
10. डूडा द्वारा कराये गये कार्य संबंधित निकाय को हस्तानान्तरित किये जाने के उपरान्त ही संबंधित ठेकेदार की सिक्योरिटी अवमुक्त की जायेगी।
11. प्रस्तावित कार्य किसी भी कार्यदायी संस्था द्वारा नहीं कराया गया है और न ही वर्तमान में किसी अन्य विभाग द्वारा प्रस्तावित/स्वीकृत है तथा किसी भी प्रकार के विवाद से रहित है। इस आशय का जनपदीय कार्यदायी विभागों के सक्षम अधिकारी से प्रमाणित प्रमाण पत्र आगणन के साथ संलग्न किये जायें।
12. समस्त कार्य ई—टेण्डरिंग के माध्यम से पूर्व निर्गत शासनादेश सं0—1067/75/2—2017/42 आई0टी0/2017 दिनांक 12.05.2017 के अनुसार कराया जायेगा। ई—टेण्डरिंग प्रणाली के अन्तर्गत निविदा प्रकाशित करने/खोलने के संबंध में शासनादेश सं0—3/2017/1067/78—2—2017—42 आई0टी0/2017 दिनांक 12.05.2017 के अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
13. प्रस्तावित आगणन/डी0पी0आर0 में नियमानुसार जी0एस0टी0/लेबर सेस एवं सेन्टेज का प्राविधान किया जाये।
14. प्रस्तावित कार्य स्थल की अक्षांश एवं देशान्तर (longitute & latititute) के कलर फोटोग्राफ जो परियोजना अधिकारी/अभियन्ताओं—117/2017/1279/69—1—17—14(31)/2012 टी0सी0 दिनांक 26.10.2017ों के हस्ताक्षर सहित आगणन के साथ प्रस्तुत किया जाये।
15. आगणन में प्रयुक्त दरों के सत्यापन हेतु पी0डब्लू0डी0 एस0ओ0आर0 साथ में संलग्न करना होगा।
16. दरों के वर्गीकरण (Analysis of Rates) केवल उन्हीं मदों का किया जायेगा, जो एस0ओ0आर0 में उपलब्ध न हों, अपरिहार्य स्थिति में Analysis लो0नि0वि0 के अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रमाणित प्रति ही अनुमन्य होगी।
17. वित्तीय व भौतिक प्रगति में मानक के अनुरूप निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मात्रा व समयबद्धता (गुणवत्ता, मात्रा एवं समय) सुनिश्चित किया जाये।

उक्त सभी बिन्दुओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।

संलग्नकः—यथोक्त।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक

पत्रांक एवं दिनांक तदैवः—

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) उ0प्र0।
2. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0।
3. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) उ0प्र0।
4. कार्यक्रम अधिकारी, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0।
5. अधिशासी अभियन्ता/मुख्य अभियन्ता, राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
निदेशक